राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 16.04.2026 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला,हिंदुस्तान, ज्ञानशिखा टाइम्स,न्यायाधीश,संदेश वाहक,तरुण मित्र, " समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला –दि0 16.04.2026

बकायेदारी में 5 व्यावसायिक दुकानें सील

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा के निर्देश पर बकाया किराया और देय धनराशि की वसूली के लिए व्यावसायिक 5 दुकानें सील की गईं। यह कार्रवाई उन आवंटियों के विरुद्ध की गई है, जिन्होंने कई वर्षों से किराया और अन्य देय राशि जमा नहीं की है। जबकि उन्हें समय-समय पर नोटिस जारी कर भुगतान के लिए कहा गया था।

जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक परिसर में दुकान 64-65 शिवदेव नारायण राय के नाम आवंटित है। इस पर अप्रैल 2026 तक 10,16,393 (18 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त) की बकाया धनराशि हो गई है। लालता सिंह की दुकान 22 पर 8,14,307 बकाया है। प्रकाश चंद्र की दुकान संख्या-125, उषा देवी के दुकान नंबर 126 पर 5,40,302 रुपये बकाया है। कई बार

सील करता कर्मचारी। स्रोत : स्वयं

नोटिस दिया गया था। संपत्ति अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी, सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश चंद्र दुबे, पटल सहायक अजय श्रीवास्तव, रेंट कलेक्टर रणधीर

15 दिन में बकाया राशि देने के निर्देश

की उपस्थिति में दुकानें सील की गईं। आवंटियों को 15 दिन में बकाया धनराशि, देय-विक्रय मूल्य जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो आवंटन निरस्त कर उन्हें ई-ऑक्शन से नीलाम कर दिया जाएगा। वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि ऐसे अन्य दुकानदार, जो लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। 8 से 10 अन्य दुकानों को चिह्नित किया गया है। जिन पर सीलिंग की कार्रवाई होगी।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

हिन्दुस्तान –दि0 16.04.2026

बकाया न देने पर तीन दुकानें सील

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने बुधवार को बकायेदारों के खिलाफ अभियान चलाया। इसमें तीन दुकानें सील की गईं। वीडीए प्रशासन के अनुसार इन्हें कई बार नोटिस दी गई इसके बावजूद बकाया जमा न करने पर कार्रवाई की गई। प्राधिकरण का इंग्लिशियालाइन स्थित जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक परिसर स्थित दुकान संख्या 64 एवं 65 पर 10 लाख रुपये बकाया है। तो दुकान संख्या 22 पर 8 लाख रुपये, दुकान संख्या 125 एवं 126 पर साढ़े पांच लाख रुपये का बकाया है। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने कहा कि 15 दिन में बकाया जमा न करने पर दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

ज्ञानशिखा टाइम्स –दि0 16.04.2026

विकास प्राधिकरण ने किया कई व्यवसायिक दुकानों को सील

वाराणसी। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुर्ण बोरा के निर्देशानुसार बकाया किराया एवं देय धनराशि की वसूली हेतु सख्त कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण द्वारा कई व्यावसायिक दुकानों को सील किया गया है। यह कार्रवाई उन आवंटियों के विरुद्ध की गई है, जिन्होंने विगत कई वर्षों से किराया एवं अन्य देय राशि जमा नहीं की है, जबकि उन्हें समय-समय पर नोटिस जारी कर भुगतान हेतु निर्देशित किया गया था।*प्राधिकरण की जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक परिसर स्थित दुकान संख्या-64 एवं 65, जो शिवदेव नारायण राय के नाम आवंटित है, पर माह अप्रैल 2026 तक ?10,16,393 (18ल जीएसटी अतिरिक्त) की बकाया धनराशि हो गई है। इसी प्रकार दुकान संख्या-22, जो लालता सिंह के नाम आवंटित है, पर ?8,14,307 (18ल जीएसटी अतिरिक्त) तथा दुकान संख्या-125 एवं 126, जो श्री प्रकाश चंद्र एवं श्रीमती उषा देवी के नाम

आवंटित है, पर ?5,40,302 (18ल जीएसटी अतिरिक्त) की बकाया धनराशि लंबित है।

उक्त सभी आवंटियों को बकाया किराया एवं विक्रय मूल्य की धनराशि जमा करने हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.07.2023, 12.07. 2024, 19.07.2024, 16.08.2024, 02.12.2024 तथा अंतिम नोटिस 20.03.2025 को प्रेषित किए गए थे। इसके बावजूद न तो संबंधित आवंटियों द्वारा कोई भुगतान किया गया और न ही प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया।

उपाध्यक्ष के निर्देश के अनुपालन में संपत्ति अधिकारी श्री आनंद प्रकाश तिवारी, सहायक संपत्ति अधिकारी श्री रमेश चंद्र दुबे, पटल सहायक श्री अजय श्रीवास्तव एवं रेंट कलेक्टर श्री रणधीर की उपस्थिति में उपरोक्त दुकानों सील कार्रवाई की गई।

साथ ही, संबंधित आवंटियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 15 दिन की अवधि में समस्त बकाया धनराशि एवं देय विक्रय मूल्य जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित दुकानों का आवंटन निरस्त कर उन्हें ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलाम करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।उपाध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे अन्य दुकानदार, जो लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। इस क्रम में लगभग 8 से 10 अन्य दुकानों को चिन्हित किया गया है, जिन पर इसी सप्ताह सीलिंग की कार्यवाही प्रस्तावित है।

न्यायाधीश–दि0 16.04.2026

बकाया किराया एवं देय धनराशि की वसूली को लेकर सख्त हुआ वीडीए

कई व्यावसायिक दुकानों को किया सील , यह कार्रवाई उन आवंटियों के विरुद्ध की गई है, जिन्होंने विगत कई वर्षों से किराया एवं अन्य देय राशि जमा नहीं की है

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय पुर्ण बोरा के निर्देशानुसार बकाया किराया एवं देय धनराशि की वसूली हेतु सख्त कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण द्वारा कई व्यावसायिक दुकानों को सील किया गया है। यह कार्रवाई उन आवंटियों के विरुद्ध की गई है, जिन्होंने विगत कई वर्षों से किराया एवं अन्य देय राशि जमा नहीं की है, जबकि उन्हें समय-समय पर नोटिस जारी कर भुगतान हेतु निर्देशित किया गया था। प्राधिकरण की जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक परिसर स्थित दुकान संख्या-64 एवं 65, जो शिवदेव नारायण राय के नाम आवंटित है, पर माह अप्रैल 2026 तक ?10,16,393 (18इ जीएसटी अतिरिक्त) की बकाया धनराशि हो गई है। इसी प्रकार दुकान संख्या-22, जो लालता सिंह के नाम आवंटित है, पर ?8,14,307 (18इ जीएसटी अतिरिक्त) तथा दुकान संख्या-125 एवं 126, जो श्री प्रकाश चंद्र एवं श्रीमती उषा देवी के नाम आवंटित है, पर ?5,40,302 (18इ जीएसटी अतिरिक्त) की बकाया धनराशि लंबित है। उक्त सभी आवंटियों को बकाया किराया एवं विक्रय मूल्य की धनराशि जमा करने हेतु प्राधिकरण द्वारा दिनांक 12.07.2023, 12.07. 2024, 19.07.2024,16.08.2024, 02.12.2024 तथा अंतिम नोटिस 20.03.2025 को प्रेषित किए गए थे। इसके बावजूद न तो संबंधित आवंटियों द्वारा कोई भुगतान किया गया और न ही प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश के अनुपालन में संपत्ति अधिकारी श्री आनंद प्रकाश तिवारी, सहायक संपत्ति अधिकारी श्री रमेश चंद्र दुबे, पटल सहायक श्री अजय श्रीवास्तव एवं रेंट कलेक्टर श्री रणधीर की उपस्थिति में उपरोक्त दुकानों सील कार्रवाई की गई। साथ ही, संबंधित आवंटियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 15 दिन की अवधि में समस्त बकाया धनराशि एवं देय विक्रय मूल्य जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित दुकानों का आवंटन निरस्त कर उन्हें ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलाम करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उपाध्यक्ष द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि ऐसे अन्य दुकानदार, जो लंबे समय से बकाया राशि जमा नहीं कर रहे है, उनके विरुद्ध भी विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए। इस क्रम में लगभग 8 से 10 अन्य दुकानों को चिन्हित किया गया है, जिन पर इसी सप्ताह सीलिंग की कार्यवाही प्रस्तावित है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

संदेश वाहक –दि0 16.04.2026

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कई व्यावसायिक दुकानों को किया सील

- **विगत कई वर्षों से किराया एवं अन्य देय राशि जमा नही करने वालों पर गाज**

संदेश वाहक न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देशानुसार बकाया किराया एवं देय धनराशि की वसूली हेतु सख्त कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण द्वारा कई व्यावसायिक दुकानों को सील किया गया है। यह कार्रवाई उन आवंटियों के विरुद्ध की गई है, जिन्होंने विगत कई वर्षों से किराया एवं अन्य देय राशि जमा नहीं की है, जबकि उन्हें समय-समय पर नोटिस जारी कर भुगतान हेतु निर्देशित किया गया था। प्राधिकरण की जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक परिसर स्थित दुकान संख्या-64 एवं 65 जो शिवदेव नारायण राय के नाम आवंटित है पर माह अप्रैल 2026 तक 10,16,393-18 जीएसटी अतिरिक्त की बकाया धनराशि हो गई है। इसी प्रकार दुकान संख्या-22, जो लालता सिंह के नाम आवंटित हैए पर 8,14,307-18 जीएसटी अतिरिक्त तथा दुकान संख्या-125 एवं 126, जो प्रकाश चंद्र एवं श्रीमती उषा देवी के नाम आवंटित है पर 5,40,302-18 जीएसटी अतिरिक्त की बकाया धनराशि लंबित है। उक्त सभी आवंटियों को बकाया किराया एवं विक्रय मूल्य की धनराशि जमा करने हेतु प्राधिकरण द्वारा 12.07.2023, 12.07.2024, 19.07.2024, 16.08.2024, 02.12.2024 तथा अंतिम नोटिस 20.03.2025 को प्रेषित किए गए थे। इसके बावजूद न तो संबंधित आवंटियों द्वारा कोई भुगतान किया गया और न ही प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया।

तरूण मित्र –दि0 16.04.2026

बकाया राशि जमा न करने पर वीडीए ने व्यावसायिक दुकानों को किया सील

तरुणमित्र न्यूज

वाराणसी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देशानुसार बकाया किराया एवं देय धनराशि की वसूली हेतु सख्त कार्रवाई करते हुए प्राधिकरण द्वारा कई व्यावसायिक दुकानों को सील किया गया है।

यह कार्रवाई उन आवंटियों के विरुद्ध की गई है, जिन्होंने विगत कई वर्षों से किराया एवं अन्य देय राशि जमा नहीं की है, जबकि उन्हें समय-समय पर नोटिस जारी कर भुगतान हेतु निर्देशित किया गया था। प्राधिकरण की जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक परिसर स्थित दुकान संख्या-64 एवं 65, जो शिवदेव नारायण राय के नाम आवंटित है, पर माह अप्रैल 2026 तक 10,16,393 रु (18न्न जीएसटी अतिरिक्त) की बकाया धनराशि हो गई है। इसी प्रकार दुकान संख्या-22, जो लालता सिंह के नाम आवंटित है, पर 8,14,307 रु (18न्न जीएसटी अतिरिक्त) तथा दुकान संख्या-125 एवं 126, जो प्रकाश चंद्र एवं उषा देवी के नाम आवंटित है, पर 5,40,302 रु (18न्न जीएसटी अतिरिक्त) की बकाया धनराशि लंबित है।उक्त सभी आवंटियों को बकाया किराया एवं विक्रय मूल्य की धनराशि जमा करने हेतु प्राधिकरण द्वारा 12.07.2023, 12.07. 2024, 19.07.2024,16.08.2024, 02.12.2024 तथा अंतिम नोटिस 20.03.2025 को प्रेषित किए गए थे। इसके बावजूद न तो संबंधित आवंटियों द्वारा कोई भुगतान किया गया और न ही प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर कोई संतोषजनक प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया।वीडीए उपाध्यक्ष के निर्देश के अनुपालन में संपत्ति अधिकारी आनंद प्रकाश तिवारी, सहायक संपत्ति अधिकारी रमेश चंद्र दुबे, पटल सहायक अजय श्रीवास्तव एवं रेंट कलेक्टर रणधीर की उपस्थिति में उपरोक्त दुकानों सील कार्रवाई की गई इसके साथ ही संबंधित आवंटियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए 15 दिन की अवधि में समस्त बकाया धनराशि एवं देय विक्रय मूल्य जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित दुकानों का आवंटन निरस्त कर उन्हें ई-ऑक्शन के माध्यम से नीलाम करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

बकाया न जमा करने पर दुकानों को सील करते वीडीएकर्मी